न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 46 / 2024

1 महेन्द्र सिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दलीप पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2 फुलचन्द पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 रामा पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
4 श्रीचन्द पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
6 गोपीचन्द पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
7 तारामणी देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
8 परमेश्वरी देवी पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
9 पवन कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

2

10 विमला देवी पत्नी रूगवीर जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

11 महीपाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

12 राजेन्द्र पुत्र रूगवीर जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

13 हरसिंह पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

14 धापा देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

15 नितेश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

16 पार्वती देवी पत्नी हणमान जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

17 मुकेश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

18 मनोज पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

19 महावीर पुत्र हणमान जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

20 मोहन लाल पुत्र हणमान जाति जाट निवासी ग्राम जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियय
1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 26.03.2024 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी
दलीप बनाम श्रीचन्द वगैरह मु.नं. 01/2021
(पुनदर्ज 02/2023) प्रकरण अ.धारा 251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः– 29.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मु.नं. 01/2021 (पुनदर्ज 02/2023) में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
* सीकर *

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 की ओर प्रार्थना पत्र 251 ए प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 253/184 वाके ग्राम गोविन्दपुरा में से 10 फीट चौड़े रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने न्यायालय में उपस्थिति होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करने का निवेदन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए, बी, सी स्थान पर खेत खसरा नम्बर 92 सरहद मौजा जाखड़ा में से खेत खसरा नम्बर 184 सरहद मौजा गोविन्दपुरा के लिए 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करें तथा खेत खसरा नम्बर 92 सरहद मौजा जाखड़ा में बिन्दु डी, ई, एफ स्थान पर कायम किये गये रास्ते को हटाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए, बी, सी स्थान पर खेत खसरा नम्बर 92 सरहद मौजा जाखड़ा में से खेत खसरा नम्बर 184 सरहद मौजा गोविन्दपुरा के लिए 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करें तथा खेत खसरा नम्बर 92 सरहद मौजा जाखड़ा में बिन्दु डी, ई, एफ स्थान पर कायम किये गये रास्ते को हटाये। इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा इस निर्णय का भाग रहेगा। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

5

निर्णय आज दिनांक 29.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर